न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 96/2018

1 महावीर पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी ढ़ाका की ढ़ाणी तन टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 द्वारका प्रसाद पुत्र कालूराम जाति महाजन निवासी टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश) जरिये मुख्तयार आम लिछमण सिंह पुत्र सुखजी जाति रावणा राजपूत निवासी टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 विधाधर पुत्र कुरडाराम।
3 देबूराम पुत्र कुरडाराम।
4 नरसाराम पुत्र कुरडाराम।
5 श्रीमती रजी पुत्री कुरडाराम।
6 श्रीमती बरजी पुत्री कुरडाराम।
7 श्रीमती मोहनी पुत्री कुरडाराम।
8 प्रभाती देवी स्त्री भगवानाराम।
9 अनिल पुत्र भगवानाराम।
10 विकास पुत्र भगवानाराम।
11 सुनिल पुत्र भगवानाराम।
12 सुमन पुत्री भगवानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाका की ढ़ाणी तन टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
13 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गुढ़ा गोड़जी जरिये प्रन्धक।
14 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.06.2018
अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955
बमुकदमा उनवानी द्वारका प्रसाद बनाम रामकोरी
दावा बाबत घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा तथा विभाजन
मुकदमा नम्बर 252/2013 बअदालत सहायक कलेक्टर
उदयपुरवाटी।

अपील संख्या 106/2018

1 महावीर पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी ढ़ाका की ढ़ाणी तन टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 द्वारका प्रसाद पुत्र कालूराम जाति महाजन निवासी टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू हाल हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश) जरिये मुख्तयार आम लिछमण सिंह पुत्र सुखजी जाति रावणा राजपूत निवासी टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2 विधाधर पुत्र कुरडाराम।
3 देबूराम पुत्र कुरडाराम।
4 नरसाराम पुत्र कुरडाराम।
5 श्रीमती रजी पुत्री कुरडाराम।
6 श्रीमती बरजी पुत्री कुरडाराम।
7 श्रीमती मोहनी पुत्री कुरडाराम।
8 प्रभाती देवी स्त्री भगवानाराम।
9 अनिल पुत्र भगवानाराम।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

10 विकास पुत्र भगवानाराम।
11 सुनिल पुत्र भगवानाराम।
12 सुमन पुत्री भगवानाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाका की ढ़ाणी तन टीटनवाड़ तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
13 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गुढ़ा गोड़जी जरिये प्रन्धक।
14 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
15 श्रीमती शान्ति देवी उम्र 74 वर्ष स्त्री भगवानसिंह जाति जाट निवासी छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध अंतिम निर्णय व डिक्री
दिनांक 31.07.2018 अं.धा. 223 राजस्थान
टीनेन्सी एक्ट 1955 बमुकदमा उनवानी द्वारका
प्रसाद बनाम रामकोरी वगै. दावा बाबत
घोषणार्थ व स्थाई निषेधाज्ञा तथा विकल्प
में विभाजन मु.नं. 252/2013 बअदालत
सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र सिंह निर्वाण, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 25.10.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 252/2013 में पारित निर्णय दिनांक 30.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनो पत्रावलियों में विवादित भूमि एवं पक्षकार एक समान होने से दोनो का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा एक वाद घोषणार्थ, स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन बाबत भूमि खसरा नम्बर 625 वाके ग्राम छावसरी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्राथमिक एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03.02.2014 के अनुसार अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 4 की ओर से श्री मदनसिंह धायल एडवोकेट द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया जाना प्रकट होता है। पत्रावली में प्रतिवादी नम्बर 4/अपीलांट के जवाब दावा व शेष प्रतिवादीगण की तलबी हेतु तारीख पेशीयां अधिकतर मोहर लगाकर दी जाती रही है। प्रकरण में तारीख पेशी दिनांक 06.07.2018 वास्ते जवाब दावा प्रतिवादी नम्बर 4/अपीलांट व तलबी शेष प्रतिवादीगण मुर्कर रही परन्तु विचारण न्यायालय ने मुर्कर तारीख पेशी से पहले 30.06.2018 को कैम्प कोर्ट में पत्रावली को रख लिया जिसके लिए भी अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 4 या उसके वकील को कोई सूचना नहीं दी गई। आदेशिका दिनांक 30.06.2018 व निर्णय में वकुलाय की उपस्थिति दर्ज की हुई है परन्तु अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 4 के वकील कभी भी कैम्प कोर्ट में उपस्थिति नहीं हुऐ क्योंकि यदि अपीलांट के वकील उपस्थित हुये होते तो आदेशिका दिनांक 30.06.2018 पर उनके हस्ताक्षर होते तथा वकील साहब अपने पक्षकार को सूचित करते तो अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 4 स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता। उक्त समस्त परिस्थितियों से यह स्पष्ट है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कि विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 4 या अन्य किसी भी प्रतिवादी को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया तथा वादी के अधिवक्ता के कथनानुसार दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किये जाने का विधि विरूद्ध निर्णय दिया। इससे यह भी स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन करते हुये अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 4 को बिना सुनवाई का अवसर दिये उसकी पीठ पीछे निर्णय पारित किया है जो कानून से **Abuse of Process of The court** है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधि विरूद्ध होने से खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण नम्बर 1, 2, 5, 9 व 12 के विरूद्ध उनकी तामील पर्याप्त मानकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाए जाने की कार्यवाही की गई है। प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 5, 9 व 12 के सम्मनों की तामील का अवलोकन किया जावे तो इन पर तामील माता या भाई पर होना प्रकट होता है तथा बालिग होने व शामिल में रहने के बाबत कोई हल्फिया रिपोर्ट तामील कुनिन्दा द्वारा नहीं दी गई है। अन्य प्रतिवादीगण नम्बर 3, 6 लगायत 8, 10, 11 व 13 लगायत 15 की तामील तो जारी भी नहीं की गई है। उक्त समस्त परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने कानूनी कार्यवाही का उल्लंघन करते हुये बिना प्रोसीजर एडोप्ट किये अपना निर्णय व प्रारंभिक डिक्री अपनी मनमर्जी के अनुसार पारित की है जो खारिज होने योग्य है। असल में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी का विवादित जमीन में कोई कब्जा नहीं है। वादी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने विवादित जमीन के 1/2 हिस्से में धोखे से मुगालता से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों से मिलकर विवादित जमीन के राजस्व रिकार्ड में अपना नाम गलत दर्ज करवाया है। अपीलांट/प्रतिवादी नम्बर 4 व अन्य प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टस नम्बर 2, 6 लगायत 8 व 10, 11 व 13 लगायत 15 को सुनवाई का मौका दिया जाता तो विचारण न्यायालय के समक्ष सभी बाते पत्रावली के रिकार्ड पर रखे जाने के बाद समस्त पहलुओं का भली भांति अवलोकन किये जाने के उपरान्त विधिवत निर्णय पारित किया जाता परन्तु विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण पक्ष की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

ओर से अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने का बिना अवसर प्रदान किये अपना गलत निर्णय पारित करते हुये गलत प्राथमिक डिकी पारित की है जो निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादी नम्बर 1 श्रीमती जयकोरी की दोराने दावा मृत्यु हो गई। इस बाबत न तो वादी द्वारा न्यायालय को सूचित किये जाने का उल्लेख है तथा न उसकी मृत्यु हो जाने पर दावा में वांछित कार्यवाही ही की गई है। विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2018 कानून से मृत व्यक्ति के खिलाफ नलीटी है। इसलिए निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.06.2018 निरस्त होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2015(4) राज पेज. 1442, आरआरटी 2014–15(सप्ली.) पेज 100, आरआरडी 2013 पेज 840, आरआरडी 2009 पेज 310, आरआरटी 2011(1) पेज 229, आरआरडी 2015 पेज 449, आरआरटी 2011–12 सप्ली. पेज 698, डीएनजे 2018(4) रेव पेज 698, आरआरटी 2014(1) पेज 258 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में पक्षकार है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को अंतिम अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2018 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2018 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जा चुकी है। विचारण न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट ने विभाजन मौके के विपरित होने के संदर्भ में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में अपीलांट प्रतिवादी संख्या 4 के रूप में पक्षकार है। विचारण न्यायालय में अपीलांट की जरिये वकालतन उपस्थिति रही है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को अंतिम अवसर दिये जाने के उपरांत भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2018 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 31.07.2018 को विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जा चुकी है। विचारण न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना में तहसीलदार द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपीलांट ने विभाजन मौके के विपरित होने के संदर्भ में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अतः विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर